मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 7, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री रामगोपाल गुप्ता, रामाश्रय प्रसाद तथा रामकिशन अहिरवार, पूर्व सदस्यगण के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह तथा पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्वाह्न 10.41 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 10.49 बजे कार्यवाही पुनः समवेत हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 162 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 159 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य की देवास जिले में वन क्षेत्र का विस्तार न होने,

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम के पेट्रोल पंपों में मिलावटी पेट्रोल मिलने

(3) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य की अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को अन्य मंडियों से माल भेजने की व्यवस्था करने,

(4) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की पुष्पराजगढ़ के ग्राम खेतगांव में बांध निर्माण से समस्या उत्पन्न होने,

(5) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट के परसवाड़ा में लमटा से छिन्दलई मार्ग निर्माण में कृषि भूमि का मुआवजा न मिलने,

(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद में आवास ऋण योजना के अभिलेख जमा होने पर भी ऋण न दिये जाने,

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की कमरोनिया स्थित हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के समस्याग्रस्त होने,

(8) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल के छोला मंदिर रोड से कोच फैक्ट्री रोड के बीच अन्डर-ब्रिज न होने,

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम खेड़ा नहर एवं ग्राम रघुनाथपुर में प्राथमिक शालाएं न होने तथा

(10) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की कटनी जिले के कैमोर थाने के अंतर्गत दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई न होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 पटल पर रखा।

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2010-11 पटल पर रखी।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में आदिवासी छात्रावास कागजों में संचालित होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री श्रीकान्त दुबे, सदस्य ने पन्ना जिले की ग्राम पंचायत मोहना में शासकीय भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई कर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा (जिला-रीवा)
(2) श्री मानवेन्द्र सिह (जिला-छतरपुर)
(3) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(4) श्री सुनील जायसवाल (जिला-नरसिंहपुर)
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(6) श्री कमलेश जाटव (जिला-मुरैना)
(7) डॉ. निशिथ पटेल (जिला-कटनी)
(8) श्री संजय पाठक (जिला-कटनी)
(9) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में द्वादश विधान सभा के कार्यकाल से संबंधित आरोप लगाने का औचित्य न होने सम्बन्धी व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना में द्वादश विधान सभा कार्यकाल के मंत्रिमण्डल पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिन पर चर्चा का औचित्य नहीं है। इस सम्बन्ध में पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2)(ख), संसदीय पद्धति और प्रक्रिया (कौल एवं शकधर), मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली, न्यायिक निर्णयों एवं विधानसभा कार्यवाही के विभिन्न उद्धरणों का उल्लेख किया गया। इसी तारतम्य में, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया :-

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री
(4) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(5) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री
(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(7) श्री के.पी. सिंह
(8) डॉ. गोविन्द सिंह
(9) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(10) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री
(11) श्री केदारनाथ शुक्ल
(12) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(13) श्री गिरीश गौतम
(14) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(15) श्री श्रीकांत दुबे
(16) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(17) श्री आरिफ अकील
(18) श्री रामनिवास रावत
(19) डॉ. कल्पना परूलेकर
(20) श्री विश्वास सारंग
(21) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(22) श्री सुखदेव पांसे

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई :-

"माननीय संसदीय कार्य एवं विधि और विधायी कार्य मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा और उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय सहित सभी सत्ता पक्ष के सदस्यों की आपत्ति मैंने सुनी। उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव में ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिनका वर्तमान सरकार अर्थात् वर्तमान मंत्रिमण्डल से संबंध नहीं है। उनका यह तर्क है कि द्वादश विधान सभा विघटित हो चुकी है, अतः तत्कालीन मंत्रिमण्डल के कार्यकलापों पर त्रयोदश विधान सभा के वर्तमान मंत्रिमण्डल पर आए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा नहीं की जा सकती। श्री कैलाश विजयवर्गीय ने पंजाब विधान सभा के एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 6053/2008 का भी संदर्भ दिया है। साथ ही यह तर्क लिखित में भी दिया है कि विगत मंत्रिमण्डल के जिन विभागों की अनियमितताओं का उल्लेख आरोप पत्र में है, उनमें से कई पूर्व मंत्री वर्तमान विधान सभा के सदस्य ही नहीं हैं।

इस संबंध में प्रतिपक्षी सदस्यों के तर्क भी मैंने सुने। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हुई है। नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय सिंह की ओर से आरोप पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हुआ, जिसमें 37 आरोप हैं। ये आरोप 15 मंत्रियों के विरूद्ध हैं और इनमें 17 ऐसे आरोप हैं जो माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय मंत्रिगणों के परिवारजन व संबंधियों के संबंध में हैं। इसमें एक आरोप पूर्व मुख्य सचिव और एक आरोप राज्यसभा सदस्य के विरूद्ध भी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के संदर्भ में 10 आरोप पत्र मुझे दिनांक 26 नवम्बर, 2011 तक प्राप्त हुए हैं। श्री आरिफ अकील, सदस्य ने 3 अलग-अलग आरोप पत्र दिए हैं और उनके आरोप 15 विभागों के मंत्रियों तथा अन्य लोगों के विरूद्ध हैं। डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा जो आरोप पत्र दिये गये हैं, उनमें 8 मंत्रियों के विरूद्ध 17 आरोप हैं। सभी आरोप पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें कई आरोप ऐसे हैं जो विगत मंत्रिमण्डल के मंत्रियों के संबंध में हैं।

इस संबंध में मैंने श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के मंत्रिमण्डल के विरूद्ध तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लगाए गए आरोपों का भी अवलोकन किया। मैंने यह पाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमण्डल के विरूद्ध तीन अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1996, 1998 एवं 2002 में आए थे। तीन अविश्वास प्रस्तावों के संदर्भ में जो आरोप तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, श्री विक्रम वर्मा और डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने दिये थे, उनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वे आरोप उसी अवधि विशेष के थे, जितनी अवधि तत्कालीन मंत्रिमण्डल की पूर्ण हुई थी। जो अंतिम अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 2002 में दिया गया, उसमें एकादश विधान सभा के कार्यकाल के संबंध में कोई आरोप नहीं था। वर्ष 2002 के आरोप पत्र में एक भी आरोप बाहरी व्यक्ति या पूर्व मंत्रिमण्डल के सदस्य के विरूद्ध नहीं था।

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है वह प्रस्ताव श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्यरत मंत्रिमण्डल के विरूद्ध है, न कि पूर्व मंत्रिमण्डल के विरूद्ध। पूर्व के किसी मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया भी नहीं जा सकता। इस संबंध में मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 143, जिसमें मंत्रियों पर अविश्वास का प्रस्ताव देने का प्रावधान है उसका भी मैंने अवलोकन किया। नियम 143 (1) में निम्न उपाबन्ध किया गया है कि -

"मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा।"

उपरोक्त प्रावधान से यह भी स्पष्ट है कि यह प्रावधान वर्तमान मंत्रिपरिषद के संबंध में ही है न कि पूर्व मंत्रिपरिषद के संबंध में। इस संबंध में, मैंने विधानसभा के विघटन के प्रभावों संबंधी प्रावधान भी देखे। "संसदीय पद्धति और प्रक्रिया" श्री महेश्वरनाथ कौल/श्री श्याम लाल शकधर के पृष्ठ-192 पर इस संबंध में निम्नानुसार उल्लेख है कि :-

"सभा का विघटन हो जाने पर उसका सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सभा या उसकी किसी समिति के समक्ष लंबित सभी कार्य उसके विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं। विघटित सभा के रिकार्ड का कोई भी अंश अन्य सभा के रिकार्ड या रजिस्टरों में न तो लिया जा सकता है और न ही उतारा जा सकता है। संक्षेप में विघटन से वर्तमान लोक सभा पर पूरी तरह से पर्दा पड़ जाता है।"

उपरोक्त संदर्भ में यदि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये आरोप पत्रों को देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक सदस्यों ने वर्तमान मंत्रिमण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त भी आरोप पत्र में अपने आरोप लगाए हैं और अनेक आरोप वर्तमान माननीय मंत्रियों के पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध भी हैं। ऐसे मंत्रियों के विरूद्ध भी आरोप हैं जो इस विधान सभा के सदस्य तक नहीं हैं। कई न्याय निर्णयाधीन मामलों को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है।

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद, 174 (ख) के तहत विधान सभा के विघटन का परिणाम यह होता है कि संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के तहत् जो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था, उसका अस्तित्व नहीं रहा। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 164 (2) तब तक प्रवर्तन में रहेगा या लागू रहेगा जब तक 174 (ख) के तहत् विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता। यही सिद्धान्त AIR 1971 S.C. 1002, यू.एन.आर.राव विरूद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी के मामले में प्रतिपादित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश विधान सभा के नियम पूर्णतया स्पष्ट हैं और स्थापित परम्पराएं हैं कि न्याय निर्णयाधीन मामलों में और ऐसे मामलों में, जिन मामलों में कोई व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में सदन में आकर उसका प्रतिवाद नहीं कर सकता, अर्थात् जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उनके विरूद्ध आरोप नहीं लगाए जाएंगे। पारिवारिक या संबंधियों के मामलों में आरोप तभी लगाए जा सकते हैं जब आरोप लगाने वाला दस्तावेजों से यह स्पष्ट कर दे कि मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य ने अपने संबंधियों परिजनों को अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर लाभ पहुंचाया है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए मैं अपने आपको इस बात से सहमत पाता हूं कि वर्तमान मंत्रिमण्डल के विरूद्ध लगाए गए आरोप श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित वर्तमान मंत्रिमण्डल जो दिसम्बर, 2008 से कार्य कर रहा है, अर्थात् तीन वर्ष की अवधि पर ही लगाए जा सकते हैं। इसके पूर्व के मंत्रिण्डल के सदस्यों के विरूद्ध आरोप लगाना नियमानुकूल नहीं है। अतः मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसी प्रकार, न्याय निर्णयाधीन मामलों पर और ऐसे व्यक्तियों पर जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उन पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं या चुनी हुई संस्थाओं की किसी कार्य प्रणाली या चूक पर भी उसी सीमा तक चर्चा करें जिस सीमा तक किसी विफलता में राज्य शासन या उसके किसी मंत्री का दायित्व बनता है। चूंकि ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी यहां आरोपों का उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं हैं, अतः उन पर आरोप न लगाएं, यह मेरा अनुरोध है। अतः माननीय नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्षी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि वे वर्तमान मंत्रिमण्डल की असफलताओं/विफलताओं पर ही चर्चा को केन्द्रित कर चर्चा प्रारम्भ करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब मंत्रिमण्डल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तो मंत्रिमण्डल के सदस्यों के सदन के बाहर व भीतर के कार्यों को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चर्चा में पूर्व का संदर्भ देना और मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य पर स्पष्ट आरोप लगाना दोनों अलग-अलग मामले है। अतः प्रतिपक्षी सदस्यों के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ।"

(अपराह्न 1.07 से 2.31 बजे तक अन्तराल)

8. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कांतिलाल भूरिया, सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत-उल्लेख किया गया।

9. मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -"यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यरत मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री बिसाहूलाल सिंह
(5) श्री केदारनाथ शुक्ल
(6) डॉ. गोविन्द सिंह (जारी)

अपराह्न 6.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 8, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 नवम्बर, 2011